

**राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**

क्रमांक -एफ 33(1) खा.वि./प्रोक्यो./RMS/2022-23-I

जयपुर, दिनांक 15/06/2022

जिला कलक्टर

हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर |

प्रबंध निदेशक

राजफेड / तिलम संघ

जयपुर |

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

भारतीय खाद्य निगम

जयपुर |

**विषय :-** समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने बाबत |

**प्रसंग :-** भारत सरकार का पत्र क्रमांक 7(2)/2022-Py.I दिनांक 15.06.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में आरएमएस 2022-23 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद की अवधि दिनांक 10.06.2022 से बढ़ा कर दिनांक 30.06.2022 निर्धारित की गयी है | खरीद कार्य निर्धारित FAQ एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार ही करने के निर्देश प्रदान किये गये है |

अतः उक्तानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य दिनांक 30.06.2022 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करावें | साथ ही इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार - प्रसार कर गेहूं की खरीद केवल वास्तविक किसानों से ही की जाए और पुनर्चक्रण से बचने के लिए सभी प्रयास किए जाएं |

संलग्न - प्रासंगिक पत्र |

भवदीय

Sd/-


(कालूराम)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर |
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर |
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि / वित्त / राजस्व / खाद्य विभाग, राज0, जयपुर |
5. संभागीय आयुक्त / महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर, राज0 |
6. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, जयपुर |
7. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर |

8. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के खरीद केन्द्रों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीकरण हेतु पोर्टल खोलने का श्रम करें।
11. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त